

न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक महत्त्व वाले मामलों में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को अनुमति दे दी है।

न्यायालय द्वारा जारी दशा-नरिदेश

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 'व्यापक और समग्र दशानरिदेश' तैयार करने का नरिदेश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रिया को पायलट आधार पर शुरू करने का नरिदेश भी दिया है।
- यह परियोजना कई चरणों लागू की जाएगी।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अयोध्या तथा SC/ST आरक्षण जैसे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी।
- चूंकि न्यायालय की खुली सुनवाई के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 327 और सविलि प्रक्रिया संहिता 1908 (Code of Civil Procedure- CPC) की धारा 153ख के प्रावधानों का अनुसरण किया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 के अनुसार वह स्थान जहाँ कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जाँच या वचिरण के प्रयोजन से बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा जिसमें जनता साधारणतः वहाँ तक प्रवेश कर सकेगी जहाँ तक कि वह सुवधिपूर्वक उसमें समा सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी वशिष्ट मामले की जाँच या वचिरण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किये गए कमरे या भवन तक जनता अथवा किसी वशिष्ट व्यक्तिको न पहुँचने दिया जाए।

सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153ख

- सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153ख के अनुसार, वह स्थान जहाँ किसी वाद के वचिरण के प्रयोजन के लिये कोई सविलि न्यायालय लगता है तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारणतः वहाँ तक पहुँच होगी जहाँ तक वह इसमें सुवधिपूर्वक समा सके।
- लेकिन, यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी वशिष्ट मामले की जाँच या वचिरण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक जनता या किसी वशिष्ट व्यक्तिकी पहुँच नहीं होगी या वह उसमें नहीं आएगा या वह वहाँ नहीं रहेगा।

सरकार का पक्ष

- राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार कर न्यायालय में दाखल करने के नरिदेश जारी किये थे। अटॉर्नी जनरल द्वारा वसितुत गाइडलाइन दाखल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखल गाइडलाइन के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से शुरू होनी चाहिये और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालयों में लागू किया जा सकता है।
- इसमें संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिये। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि वैवाहिक विवाद, नाबालगों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग न हो।
- अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव भी दिया कि कोर्टरूम की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये वादियों, पत्रकार, इंटरन और वकीलों के लिये एक मीडिया रूम बनाया जा सकता है।
- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने यह सफारिश भी की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार, लोकसभा या राज्यसभा की तरह ही अलग सर्वोच्च न्यायालयचैनल की व्यवस्था कर सकती है।

इंदिरा जयसहि ने दाखल की थी याचिका

- सर्वोच्च न्यायालयमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसहि ने PIL दाखलि कर यह अनुरोध कयि थि कि राष्ट्रीय महत्त्व और संवैधानकि महत्त्व के मामलों की पहचान कर उन मामलों की रकिर्डिंगि की जानी चाहयि और उनका सीधा प्रसारण भी कयि जाना चाहयि ।

नष्कर्ष

- यह प्रक्रयि अधिकि पारदर्शति को सुनिश्चति करने के साथ ही 'दंड प्रक्रयि संहति' और 'सविलि प्रक्रयि संहति' में जवाबदेहति के लयि एक साधन के रूप में कार्य करेगी ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-approves-live-streaming-of-court-proceedings>

